भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 894

दिनांक 08 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

.....

छोटे राज्यों को विशेष वित्तीय या तकनीकी सहायता

894. श्री दोरजी त्शेरिंग लेप्चा:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सिक्किम जैसे छोटे राज्यों को जल जीवन मिशन, नमामि गंगे कार्यक्रम (संबंधित सहायक नदियों के लिए), बाढ़ प्रबंधन और नदी पुनर्जीवन परियोजनाओं जैसी केंद्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के अंतर्गत कोई विशेष वित्तीय या तकनीकी सहायता प्रदान करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत पांच वर्षों के दौरान सिक्किम राज्य को कितनी सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) क्या सरकार छोटे और आपदा-प्रवण हिमालयी राज्यों के लिए जल संबंधी अवसंरचना परियोजनाओं की समय पर पूर्णता और संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए एक अलग नीति बनाने या विशेष श्रेणी सहायता प्रदान करने पर विचार करेगी और यदि हों, तो इसके लिए निर्धारित समय-सीमा क्या होगी?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) और (ख): सरकार सिक्किम जैसे छोटे राज्यों सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) और बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। पिछले पांच वर्षों (वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25) में, जल जीवन मिशन के तहत, मिशन मोड में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य जल उपलब्ध कराने के लिए सिक्किम राज्य सरकार को 1,054.37 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई थी। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के तहत, सीवेज-उपचार क्षमता निर्माण सहित प्रदूषण-उपशमन कार्यों के लिए सिक्किम राज्य सरकार को 202 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई थी। बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) के तहत, बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी और ड्रेनेज के विकास के लिए सिक्किम राज्य सरकार को 91.84 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई थी।

(ग): सरकार छोटे और आपदा-प्रवण हिमालयी राज्यों के लिए विभिन्न योजनाएँ क्रियान्वित करती है। ये योजनाएँ हैं: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी), बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) और राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम)। आवश्यकतानुसार इन योजनाओं की समीक्षा और इनमें संशोधन किया जाता है।

*****